

10696 (2)
10690
6-2-19



14
13-00

आयालय उप जिलाधिकारी सफर लखनऊ

वाक संख्या 82/08-09 धारा-1432ALP
वर्ग काकरी, परगना काकरी, तहसील
वर्गजिला लखनऊ राकयसाह विरिगल
भैमीरिगल हस्त बनाम उध्वरसरा
नारीख जिला नं-04-05-09
नकल कोर्ट की द्वाप्रापति दिनांक
04-05-09 की संलग्न है।

कोलियो प्रयोगो फात निरस्त किया
जमा है।



10696
10698
6-2-19
①

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर (प्रशिक्षण), सदर, लखनऊ।

वाद सं०— 82/08-09
राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट
बनाम उ०प्र०सरकार।
धारा—143 जेड०ए०एल०आर०एक्ट।
ग्राम— काकोरी, परगना—काकोरी,
तहसील व जिला लखनऊ।



संशोधन आदेश

वादी/प्रार्थी की ओर से आज दिनांक 04.05.09 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया गया कि उपरोक्त वाद में दिनांक 17.01.09 को भूमि गाटा संख्या 624 रकबा 0.152हे०, भूमि गाटा संख्या 626 रकबा 0.076हे०, गाटा संख्या 627 रकबा 0.085हे०, गाटा संख्या 628 रकबा 0.206हे०, गाटा संख्या 629 रकबा 0.0125हे० व गाटा संख्या 630 रकबा 0.073हे० कुल 6 किता कुल रकबा 0.717हे० में जो आदेश पारित किया गया है, उसमें यह लिखा गया है कि उक्त भूमि कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि(अकृषिक) घोषित किया जाता है। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में यह अनुरोध किया गया कि यदि उपरोक्त भूमि गाटा संख्याओं को राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान हेतु उपरोक्त भूमि घोषित न किया गया, तो प्रार्थी/वादी को अपार क्षति होगी और उसका वाद दाखिल करने का उद्देश्य असफल हो जायेगा।

मैंने वादी/प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.05.09 का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन किया तथा वादी को मौखिक रूप से सुना। उपरोक्त आदेश को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि गाटा संख्या 624 रकबा 0.152हे०, भूमि गाटा संख्या 626 रकबा 0.076हे०, गाटा संख्या 627 रकबा 0.085हे०, गाटा संख्या 628 रकबा 0.206हे०, गाटा संख्या 629 रकबा 0.0125हे० व गाटा संख्या 630 रकबा 0.073हे० कुल 6 किता कुल रकबा 0.717हे० स्थित ग्राम—काकोरी, परगना—काकोरी, तहसील व जिला—लखनऊ पर राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट शिक्षण संस्थान का निर्माण हो रहा है तथा उपरोक्त गाटा संख्याओं को राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट शिक्षण संस्थान हेतु धारा— 143 जेड०ए० एल०आर०एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 17.01.09 को घोषणात्मक वाद निर्णीत किया गया है। उक्त सीमा तक पूर्व आदेश संशोधित समझा जायेगा।

दिनांक—04.05.09

(महेन्द्र सिंह)

उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर (प्रशिक्षण)
सदर, लखनऊ।

6-2-19
15-2-19
13-2-19

प्रार्थना पत्र दान की तिथि	15-2-19
प्रार्थना पत्र दान की तिथि	15-2-19
प्रतिनिधि का नाम	13-2-19
प्रतिनिधि का पता	
शब्दों में	

प्रमाणित प्रतिलिपि

15-2-19

10695-
10689
6-219 (8)



3
13.10

न्यायालय उप जिलाधिकारी सहर लखनऊ
वाहसेरणा - 130/10-11, चार-1432 ALR मि.
शाम काकोरी, परगना - काकोरी, तहसील
वजिला लखनऊ।
तारीख जैसला - 04-11-11
शाम प्रसाद विरिगल मेमोरियल ट्रस्ट
के नाम से 5000 सरकार।
नकल कोर्ट के डिप्युटी क्लर्क - दफा 1432-
सिलखन की।
कोर्ट के उपमोहोपरात निरस्त मिमिनावाई।



10698
10689
6-27-11

(3/2)

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर (प्र० श्रे०), सदर, लखनऊ।

वाद सं० - 130/10-11
राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट.
बनाम उ० प्र० सरकार आदि।
धारा - 143 जेड० ए० एल० आर० एक्ट।
ग्राम- काकोरी, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक/ट्रस्टी मो० नौशाद खान पुत्र स्व० एजाज खॉं, निवासी मोहल्ला मुगलान काकोरी, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा - 143 जेड० ए० एल० आर० एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 632 रकबा 0.3470 हे०, 635 रकबा 0.1260 हे० व 636 रकबा 0.2530 हे० कुल तीन किता स्थित ग्राम काकोरी, के मालिक, कामिल व काबिज संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि पर चारों तरफ बाउन्ड्री बन चुकी है एवं सी० सी० रोड है तथा राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान का निर्माण हो गया है। जिसका काफी हिस्सा आवासीय उपयोग में है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अंत में प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, सदर, लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 24.03.2011 व 29.03.2011 में यह कहा है कि ग्राम काकोरी, परगना, तहसील व जिला गाटा संख्या लखनऊ की 632 सं०, 635 सं०, 636 सं० हे० कुल तीन किता में से 0.484 हे० राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि डिग्री कालेज से मिली हुई भूमि है, जो कि स्थल पर निर्मित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य न होकर निर्माण है। प्रस्तावित भूमि संख्याओं से मिला क्षेत्रफल पर पूर्व से डिग्री कालेज संचालित है। प्रश्नगत भूमि डिग्री कालेज से सटी क्रय की गयी भूमि पर निर्माण हो चुका है। लखनऊ महानगर योजना - 2021 में ग्राम काकोरी शामिल नहीं है। नियम 135 (6) के अनुसार नियमानुसार शुल्क जमा करा कर निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नहीं है। गैर कृषिक प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या सम्प्रेषित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी उ० प्र० सरकार को नियमानुसार सम्मन जारी

(Signature)

106915
10689
6-2-19

23

किया गया, जो वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया और प्रार्थी की मौखिक बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। जिससे यह स्पष्ट है कि वादीय भूमि पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य या उससे सम्बद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि उक्त भूमि का प्रयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है और उपरोक्त भूमि पर शिक्षण कार्य हेतु निर्माण है। ऐसी दशा में मौके पर भूमि का उपयोग गैरकृषिक होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 24.03.2011 व 29.03.2011 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार ग्राम - काकोरी, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 632 रकबा 0.347 हे०, 635 रकबा 0.126 हे० व 636 रकबा 0.253 हे० कुल तीन किता कुल रकबा 0.726 हे० में से 0.484 हे० जो कि राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक/ट्रस्टी मो० नौशाद खान पुत्र स्व० एजाज खॉं, निवासी मोहल्ला मुगलान काकोरी, लखनऊ के हिस्से वाली भूमि है, को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

प्रतिलिपि वार्ड नं० ४
प्रतिलिपि वार्ड नं० ४
लखनऊ
15-2-19

(पवन कुमार गंगवार)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र०श्रे०)
सदर, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 15.4.2011 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(पवन कुमार गंगवार)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र०श्रे०)
सदर, लखनऊ

6-2-19
15-2-19
13-2-19

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व अधिकारी
लखनऊ
15-2-19